

## प्रेस नोट दिनांक 04.11.2024, जनपद प्रतापगढ़

### थाना सांगीपुर, जनपद- प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

मारपीट/ गाली गलौज व हत्या के प्रयास के अभियोग में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तार अभियुक्त की निशांदाेही पर घटना में प्रयुक्त 01 अदद कुल्हाड़ी बरामद

थाना सांगीपुर पुलिस टीम ने थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम देउम चौराहा के पास से 01अभियुक्त गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 03.11.2024 को थाना सांगीपुर क्षेत्रान्तर्गत निवासी ग्राम चमरूपुर भोजपुर वादी व उसके परिजनों के साथ आरोपीगणों द्वारा एकराय होकर जान लेने के नियत से लाठी, डण्डो व कुल्हाड़ी से मारपीट करने आदि आरोपों में प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0-217/2024 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 351(2)(3), 333, 117(2), 109, 110, 324(4)/(5) बी0एन0एस0 बनाम 05 नामजद व 5-7 अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री रामसूरत सोनकर के पर्यवेक्षण व थाना सांगीपुर थानाध्यक्ष श्री मनीष कुमार त्रिपाठी के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 ज्ञानेन्द्र कुमार मय हमराह हे0का0 कमलाशंकर दुबे व का0 कुलदीप पाल द्वारा आज दिनांक 04.11.2024 को देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-217/2024 धारा 191(2), 191(3), 190, 115(2), 352, 351(2)(3), 333, 117(2), 109, 110, 324(4)/(5) बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद मिश्र पुत्र श्यामलाल मिश्र निवासी ग्राम चमरूपुर मजरा भोजपुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र के देउम चौराहा के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशानदेही पर 01 अदद कुल्हाड़ी बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का विवरण –

1- राजेन्द्र प्रसाद मिश्र पुत्र श्यामलाल मिश्र निवासी ग्राम चमरूपुर मजरा भोजपुर थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी- घटना में प्रयुक्त 01 अदद कुल्हाड़ी बरामद

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम - उ0नि0 ज्ञानेन्द्र कुमार मय हमराह हे0का0 कमलाशंकर दुबे व का0 कुलदीप पाल थाना सांगीपुर जनपद प्रतापगढ़।

## थाना कुण्डा, जनपद- प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी

लोक सेवक के कार्य में बाधा डालने के अभियोग में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

मारपीट/ गाली गलौज व हत्या के प्रयास के अभियोग में 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कुण्डा पुलिस टीम ने थाना क्षेत्रान्तर्गत प्रयागराज - लखनऊ हाईवे करेंटी बाईपास से 01 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत बाबूगंज रेलवे क्रॉसिंग के पास दिनांक 19.08.2024 को प्रार्थी के साथ आरोपीगणों द्वारा द्वारा एकराय होकर जान लेने के नियत से रोडवेज बस का शीशा, वाइपर आदि सामान तोड़ देने के संबंध में वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 243/24 धारा 191(2), 191(2), 115(2), 110, 352, 351(2) 324(4), 121(1), 132 बी0एन0एस0 बनाम 02 नामजद व 5/6 व्यक्ति अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चमी) संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा अजीत कुमार सिंह के पर्यवेक्षण व थाना प्रभारी कुण्डा सतेन्द्र सिंह के नेतृत्व में उ0नि0 गिरीशधर दूबे मय हमराह का0 विवेक मिश्रा, का0 मनीष राय द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना मु0अ0सं0 243/24 धारा 191(2), 191(2), 115(2), 110, 352, 351(2) 324(4), 121(1), 132 बी0एन0एस0 में वांछित अभियुक्त नितिन तिवारी पुत्र संतोष तिवारी उर्फ गुड्डू निवासी ग्राम साहबपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र के प्रयागराज - लखनऊ हाईवे करेंटी बाईपास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि मैं अपने साथियों के साथ मिलकर बस कंडक्टर को मारा पीटा व बस को तोड़ दिया था घटना के समय घटना में प्रयुक्त लाठी डण्डा व हाकी के बारे में पूछा गया तो बताया कि साहब हम लोग अनुज की गाड़ी UP72 BC4099 से मौके से भाग गये थे तथा भागते समय रास्ते में झाड़ियों में छुपा दिये थे बाद में वहाँ पर जाकर देखा तो नहीं मिले।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण - नितिन तिवारी पुत्र संतोष तिवारी उर्फ गुड्डू निवासी ग्राम साहबपुर थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।

आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0-148/19 धारा- 147, 148, 149, 323, 504, 506, 325, 352, 120बी भादवि थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़

02. मु0अ0सं0-243/24 धारा- 191(2), 115(2), 110, 352, 351(2), 324(4), 121(1), 132 बीएनएस थाना कुंडा जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम- उ0नि0 गिरीशधर दूबे मय हमराह का0 विवेक मिश्रा, का0 मनीष राय थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ ।

### थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार का अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ कड़ा एक्शन,

थाना हथिगवां क्षेत्रान्तर्गत एक महिला के साथ घटित अभद्र व अमानवीय घटना में शामिल 01 अन्य अभियुक्त व 02 अभियुक्ता गिरफ्तार

थानाक्षेत्र हथिगवां के खिदिरपुर चौराहे (प्रयागराज लखनऊ हाइवे) के पास से किया गया गिरफ्तार

थाना हथिगवां क्षेत्रान्तर्गत एक महिला के साथ घटित अभद्र व अमानवीय घटना में 18 अभियुक्तों को पुर्व में गिरफ्तार कर भेजा जा चुका है जेल ।

दिनांक 28.07.2024 को थाना हथिगवां क्षेत्रान्तर्गत ग्राम कूढ़ा छोटकी इब्राहिमपुर में एक महिला के साथ उसके पति व परिजनों द्वारा अभद्र व्यवहार करने के प्रकरण में साथ मु0अ0सं0 157/24 धारा 191(1), 191(2), 190, 115(2), 352, 351(2), 121(1), 132, 194(2), 79, 74 बी0एन0एस0 व 7 आपराधिक कानून(संशोधन) एक्ट के तहत 25 नामजद व 20 से 25 अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसमें विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान पुर्व में 18 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है । शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु उच्चाधिकारी के नेतृत्व में थाना हथिगवां पुलिस द्वारा निरन्तर प्रयास किया जा रहा है इसी क्रम में,

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु दिये गये शख्त निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) संजय राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी कुण्डा अजीत सिंह के नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक हथिगवां नन्दलाल सिंह मय हमराह द्वारा आज दि0-04.11.2024 को उ0नि0 राहुल कुमार हमराह उ0नि0 बनवारीलाल पाल, म0उ0नि0 राखी सिंह, कां0 चन्द्रपाल सिंह व म0का0 प्रतिभा मौर्या, म0का0 रेनू यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान,

मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-157/24 धारा 191(1), 191(2), 190, 115(2), 352, 351(2), 121(1), 132, 194(2), 79, 74 बी0एन0एस0 व 7 आपराधिक कानून(संशोधन) एक्ट से संबंधित वांछित कुल 03 अभियुक्तगण 01.भगवानदीन पटेल पुत्र मंगल प्रसाद पटेल निवासी ग्राम कुढ़ा छोटकी इब्राहिमपुर थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ व 02 अभियुक्ता को थानाक्षेत्र हथिगवां के खिदिरपुर चौराहे(प्रयागराज लखनऊ हाइवे) के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण- 01. भगवानदीन पटेल पुत्र मंगल प्रसाद पटेल निवासी ग्राम कुढ़ा छोटकी इब्राहिमपुर थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़

02. 02 अभियुक्त ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 राहुल कुमार हमराह उ0नि0 बनवारीलाल पाल, म0उ0नि0 राखी सिंह, कां0 चन्द्रपाल सिंह व म0का0 प्रतिभा मौर्या,, म0का0 रेनु यादव थाना हथिगवां, जनपद प्रतापगढ़।

बयान- महिला सुरक्षा एवं सम्मान को लेकर प्रतापगढ़ पुलिस कटिबद्ध है, अगर कोई व्यक्ति महिला के प्रति अमानवीय व्यवहार करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी

### थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़

बीट आरक्षी के सतर्कता से 01 गैंगस्टर गिरफ्तार

थाना देल्हूपुर के आरक्षी दिलीप यादव ने गैंगस्टर अभियुक्त पर कसा शिकंजा

आरक्षी दिलीप यादव ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी पैनी नजर

एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना देल्हूपुर के आरक्षी दिलीप यादव को दिया जाएगा प्रशस्ति-पत्र

थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गत सहिजनी नहर पुलिया के पास से गैंगस्टर एक्ट के 01 अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्त दुष्कर्म, पाक्सो व गैंगस्टर एक्ट जैसे गम्भीर अपराध में संलिप्त है

जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है।

इसी क्रम में थाना देल्हूपुर के बहादुर आरक्षी दिलीप यादव के सहयोग से आज दिनांक 04.11.2024 को थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 146/24 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 में 01 वांछित अभियुक्त शुभम शर्मा पुत्र राम लवट शर्मा निवासी ग्राम अन्तपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गत रेलवे क्रासिंग अजमेरशाह से गिरफ्तार किया गया ।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-शुभम शर्मा पुत्र राम लवट शर्मा निवासी ग्राम अन्तपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

शुभम शर्मा पुत्र राम लवट शर्मा निवासी ग्राम अन्तपुर थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0- 57/2022 धारा 376डी भादवि व 5जी/6 पाक्सो एक्ट थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़ ।

2- मु0अ0सं0 146/24 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ ।

### थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

बीट आरक्षी के सतर्कता से 01 गैंगस्टर गिरफ्तार

थाना मानिकपुर के आरक्षी जगत सिंह ने गैंगस्टर अभियुक्त पर कसा शिकंजा

आरक्षी जगत सिंह ने साये की तरह बिछाए रखी अपनी पैनी नजर

एसपी द्वारा अपराधी की पतारसी सुरागरसी के लिये थाना मानिकपुर के आरक्षी जगत सिंह को दिया जाएगा प्रशस्ति-पत्र

थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत सहिजनी नहर पुलिया के पास से गैंगस्टर एक्ट के 01 अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तार गैंगस्टर अभियुक्त लूट जैसे गम्भीर अपराध में संलिप्त है

जनपद में अपराध नियंत्रण/ संगीन धाराओं में संलिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु बीट पुलिसिंग प्रणाली को मजबूत किया जा रहा है।

इसी क्रम में थाना मानिकपुर के बहादुर आरक्षी जगत सिंह के सहयोग से आज दिनांक 04.11.2024 को थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 224/24 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 में 01 वांछित अभियुक्त अनुराग मौर्या पुत्र संतलाल मौर्या निवासी पूरेअलीनकी थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत सहिजनी नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गैंगस्टर एक्ट के गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01-अनुराग मौर्या पुत्र संतलाल मौर्या निवासी पूरेअलीनकी थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

अनुराग मौर्या पुत्र संतलाल मौर्या निवासी पूरेअलीनकी थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

1- मु0अ0सं0 160/24 धारा 309(5),352,351(3), 61(2)क बीएनएस थाना मानिकपुर, प्रतापगढ़ ।

## थाना मानिकपुर, जनपद प्रतापगढ़

एसपी डॉ अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध नियंत्रण पर थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा की गई गैंगस्टर की कार्यवाही-

लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट जैसे संगीन अपराधों में अभ्यस्त 03 शातिर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मानिकपुर में गैंगस्टर एक्ट के तहत किया गया अभियोग पंजीकृत-

गिरोह लीडर अनुराग मौर्या उर्फ शशांक कुमार जनपदीय स्तर का शातिर अपराधी है जो लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट जैसे अपराधों में संलिप्त है-

गिरोह का लीडर अनुराग मौर्या उर्फ शशांक कुमार व सदस्य अमन कश्यप पूर्व से जेल में निरुद्ध है। शेष अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है-

दिनांक 30.07.24 को वादी निवासी हुलासराय का पुरवा वार्ड नं0 6 नगर पंचायत, थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ से समसपुर शैलवारा माइनर पुल के पास से फायरिंग करते हुये रूपये लूटने का प्रयास करने व गाली गलौज करते हुये जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 160/24 धारा 309(5),352,351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया-

दिनांक 30.07.24 को सहिजनी बार्डर बडे तालाब के पास चेकिंग के दौरान इस गिरोह के गैंग लीडर अनुराग मौर्या उर्फ शशांक कुमार व गैंग सदस्य अमन कश्यप द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग करने व पुलिस टीम द्वारा जबाबी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में दाखिला फर्द के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 161/24 अन्तर्गत धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया-

दिनांक 30.07.24 को राइडर बाइक से 01 व्यक्ति की पुत्री को तमंचा लगाकर मोबाइल फोन छीन लेने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 162/24 धारा 309 (4) बीएनएस एक्ट पंजीकृत किया गया-

दिनांक 30.07.24 को राइडर बाइक से वादिनी निवासी बसवाही शुक्लन का पुनः थाना कुण्डा प्रतापगढ़ से मुसन्नापुर रोड बसवाही पर टाइनी कार्यालय पर लूट का प्रयास करना एवं वादिनी पर जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर कर देना। जिससे वादिनी के दाहिने हाथ में चोट लगने के सम्बन्ध में थाना कुण्डा में मु0अ0सं0 218/24 अन्तर्गत धारा 309(5), 109,324(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया-

प्रतापगढ़।

श्रीमान् अपर पुलिस महानिदेशक, प्रयागराज जोन प्रयागराज श्री भानू भास्कर व पुलिस महानिरीक्षक, प्रयागराज परिक्षेत्र प्रयागराज श्री प्रेम गौतम के पर्यवेक्षण में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ0 अनिल कुमार द्वारा अपराध एवं आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है।

अपर पुलिस अधीक्षक,पश्चिमी श्री संजय राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अजीत सिंह के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री दीप नारायण के नेतृत्व में दिनांक 03.11.2024 को एक आपराधिक संगठित गिरोह के

गैंग लीडर (गैंग लीडर) अनुराग मौर्या उर्फ शशांक कुमार पुत्र फूलचन्द्र मौर्या निवासी धनऊ का पुरवा, परियावां थाना नबाबगंज जनपद प्रतापगढ़ व गैंग सदस्य क्रमशः अमन कश्यप पुत्र वीरेन्द्र कश्यप निवासी लाटतारा थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़, अनुराग मौर्या पुत्र संतलाल मौर्या निवासी पूरेअलीनकी थाना मानिकपुर, प्रतापगढ़ के विरुद्ध नियमानुसार मु0अ0सं0 224/24 धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 का बनाम 03 अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। गिरोह का लीडर अनुराग मौर्या उर्फ शशांक कुमार व सदस्य अमन कश्यप पूर्व से जेल में निरुद्ध है। शेष 01 अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु दबिश दी जा रही है।

घटना का पूर्व का विवरण-

अभियुक्त (गैंग लीडर) अनुराग मौर्या उर्फ शशांक कुमार पुत्र फूलचन्द्र मौर्या निवासी धनऊ का पुरवा, परियावां थाना नबाबगंज जनपद प्रतापगढ़ व गैंग सदस्य क्रमशः अमन कश्यप पुत्र वीरेन्द्र कश्यप निवासी लाटतारा थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़, अनुराग मौर्या पुत्र संतलाल मौर्या निवासी पूरेअलीनकी थाना मानिकपुर, प्रतापगढ़ के साथ मिलकर एक संगठित आपराधिक गिरोह कायम कर रखा है जो जनपदीय स्तर पर सक्रिय है एवं लूट जैसी घटनायें कारित करते हैं।

01. इस गिरोह द्वारा पहले से ही रेकी कर राइडर बाइक से दिनांक 30.07.24 को वादी निवासी हुलासराय का पुरवा वार्ड नं0 6 नगर पंचायत, थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ से समसपुर शैलवारा माइनर पुल के पास से फायरिंग करते हुये रूपये लूटने का प्रयास करने व गाली गलौज करते हुये जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 160/24 धारा 309(5),352,351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्त अमन कश्यप व अनुराग मौर्या उर्फ शशांक कुमार के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 309 (5),352,351 (3)BNS में व धारा 61 (2) क बीएनएस की बढोत्तरी कर अभियुक्त अनुराग मौर्या उपरोक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 61 (2) क बीएनएस सहपठित धारा 309 (5), 352,351 (3) BNS में आरोप पत्र को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया जो कि विचाराधीन माननीय न्यायालय है।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ द्वारा घटना का शीघ्र गिरफ्तारी हेतु सख्त निर्देश दिए थे। जिसके क्रम में दिनांक 30.07.24 को सहिजनी बार्डर बडे तालाब के पास चेकिंग के दौरान इस गिरोह के गैंग लीडर अनुराग मौर्या उर्फ शशांक कुमार व गैंग सदस्य अमन कश्यप द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग करने व पुलिस टीम द्वारा जबाबी कार्यवाही करने के सम्बन्ध में दाखिला फर्द के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 161/24 अन्तर्गत धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अभियुक्त अमन कश्यप के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट व अनुराग मौर्या उर्फ शशांक कुमार के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 109 बीएनएस में आरोप पत्र को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया जो कि विचाराधीन माननीय न्यायालय है।

2. इस गिरोह के गैंग लीडर अनुराग मौर्या उर्फ शशांक कुमार व गैंग सदस्य अमन कश्यप द्वारा दिनांक 30.07.24 को राइडर बाइक से 01 व्यक्ति की पुत्री को तमंचा लगाकर मोबाइल फोन छीन लेने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 162/24 धारा 309 (4) बीएनएस एक्ट पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य पाये

जाने पर अभियुक्त अमन कश्यप व अनुराग मौर्या उर्फ शशांक कुमार के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 309(4) बीएनएस में आरोप पत्र को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया जो कि विचाराधीन माननीय न्यायालय है।

03. इस गिरोह के गैंग लीडर अनुराग मौर्या उर्फ शशांक कुमार व गैंग सदस्य अमन कश्यप द्वारा दिनांक 30.07.24 को राइडर बाइक से वादिनी निवासी बसवाही शुक्लन का पुनः थाना कुण्डा प्रतापगढ़ से मुसन्नापुर रोड बसवाही पर टाइनी कार्यालय पर लूट का प्रयास करना एवं वादिनी पर जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर कर देना। जिससे वादिनी के दाहिने हाथ में चोट लगने के सम्बन्ध में थाना कुण्डा में मु0अ0सं0 218/24 अन्तर्गत धारा 309(5), 109,324(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर धारा 3(5) बीएनएस की बढोत्तरी कर अभियुक्त अमन कश्यप व अनुराग मौर्या उर्फ शशांक कुमार के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 309(5), 109,324(2), 3(5) बीएनएस में आरोप पत्र को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया जो कि विचाराधीन माननीय न्यायालय है।

गैंग लीडर व गैंग सदस्य का आपराधिक इतिहास-

01.(गैंग लीडर) अनुराग मौर्या उर्फ शशांक कुमार पुत्र फूलचन्द्र मौर्या निवासी धनऊ का पुरवा, परियावां थाना नबाबगंज जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 346/2022 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना लालगंज, प्रतापगढ़।

मु0अ0सं0 347/2022 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना लालगंज, प्रतापगढ़।

मु0अ0सं0 160/24 धारा 309(5), 352, 351(3) बीएनएस थाना मानिकपुर, प्रतापगढ़।

मु0अ0सं0 161/24 अन्तर्गत धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मानिकपुर, प्रतापगढ़।

मु0अ0सं0 162/24 धारा 309 (4) बीएनएस थाना मानिकपुर, प्रतापगढ़।

मु0अ0सं0 175/24 धारा 392, 504, 341 बीएनएस थाना कुण्डा प्रतापगढ़।

मु0अ0सं0 218/24 अन्तर्गत धारा 309(5), 109, 324(2) बीएनएस थाना कुण्डा, प्रतापगढ़।

02. अमन कश्यप पुत्र वीरेन्द्र कश्यप निवासी लाटतारा थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 160/24 धारा 309(5), 352, 351(3) बीएनएस थाना मानिकपुर, प्रतापगढ़।

मु0अ0सं0 161/24 अन्तर्गत धारा 109 बीएनएस व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मानिकपुर, प्रतापगढ़।

मु0अ0सं0 162/24 धारा 309 (4) बीएनएस थाना मानिकपुर, प्रतापगढ़।

मु0अ0सं0 175/24 धारा 392, 504, 341 बीएनएस थाना कुण्डा प्रतापगढ़।



मु0अ0सं0 218/24 अन्तर्गत धारा 309(5), 109,324(2) बीएनएस थाना कुण्डा, प्रतापगढ़ ।

03. अनुराग मौर्या पुत्र संतलाल मौर्या निवासी पूरेअलीनकी थाना मानिकपुर, प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास-

मु0अ0सं0 160/24 धारा 309(5),352,351(3), 61(2)क बीएनएस थाना मानिकपुर, प्रतापगढ़ ।

बयान- जीरी टॉलरेंस नीति के तहत अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के लिए प्रतापगढ़ पुलिस कटिबद्ध है । अपराधियों को किसी भी दशा में छोड़ा नहीं जाएगा । शीघ्र गिरफ्तार कर अपराधियों को जेल भेजे जाने की कार्यवाही जारी है। शांत एवं सुरक्षित समाज निर्माण में प्रतापगढ़ पुलिस का सहयोग करें ।

डॉ0 अनिल कुमार,

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़

थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़

### **शान्ति भंग के आरोप में 05 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार**

अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस में गिरफ्तार

महिला उ0नि0 आरती पटेल द्वारा 03 अभियुक्त व 01 गिरफ्तार

ग्राम बोझवा लाखीपुर में शान्ति भंग की सम्भावना को देखते हुए कानून-व्यवस्था के दृष्टिगत गिरफ्तार

उ0नि0 आसू द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार

ग्राम शंकरपुर में शान्ति भंग की सम्भावना को देखते हुए कानून-व्यवस्था के दृष्टिगत 02 अभियुक्त गिरफ्तार

प्रतापगढ़ ।

दिनांक 03.11.2024 को थाना कोहंडौर के महिला उ0नि0 आरती पटेल मय उ0नि0 राजकुमार मिश्रा व का0 राममिलन द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग/ शान्ति व्यवस्था ड्यूटी के दौरान सुचना मिलने पर ग्राम बोझवा लाखीपुर पहुंचे । जहाँ पर एक व्यक्ति संदीप पुत्र दयाशंकर द्वारा शराब के नशे में गलत शब्दों का प्रयोग करने से दो पक्षों के मध्य विवाद की स्थिति हो गई । मौके पर शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने के दृष्टिगत उभयपक्षों को काफी समझाने का प्रयास किया गया । परन्तु शान्ति व्यवस्था भंग होने की प्रबल सम्भावना को देखते हुए महिला उ0नि0 आरती पटेल द्वारा 01 अभियुक्ता व 03 अभियुक्त हरकेश पुत्र विपती प्रसाद, राजेश पुत्र बाबूलाल व संदीप पुत्र दयाशंकर निवासी उपरोक्त के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया गया ।

इसी क्रम में उ0नि0 आसू मय हमराह हे0का0 शिवपूजन चौधरी द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग/ शान्ति व्यवस्था ड्यूटी के दौरान सुचना मिलने पर ग्राम शंकरपुर पहुंचे । जहाँ पर दो पक्ष जमीन विवाद को लेकर विवाद कर रहे थे । मौके पर शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने के दृष्टिगत उभयपक्षों को काफी समझाने का प्रयास किया गया । परन्तु शान्ति व्यवस्था भंग होने की प्रबल सम्भावना को देखते हुए उ0नि0 आसू द्वारा भाग्य नरायन पुत्र राम नरायन तथा श्याम नरायन पुत्र देव नरायन निवासी उपरोक्त के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए अन्तर्गत 170/126/135 बीएनएसएस के तहत दोनों को गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता-

1-हरकेश पुत्र विपती प्रसाद,

2-राजेश पुत्र बाबूलाल,

3-संदीप पुत्र दयाशंकर निवासीगण बोझवा लाखीपुर थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ ।

4-01 अभियुक्ता ।

5-भाग्य नरायन पुत्र राम नरायन

6-श्याम नरायन पुत्र देव नरायन निवासीगण शंकरपुर थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ ।

### थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़

शान्ति भंग होने की स्थिति में 04 अभियुक्ता व 02 अभियुक्त गिरफ्तार

अन्तर्गत धारा 170/126/135 बीएनएसएस में गिरफ्तार

उ0नि0 सचिन यादव मय हमराह द्वारा की गई कार्यवाही

थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बेनीपुर में जमीन विवाद में शान्ति भंग की सम्भावना को देखते हुए कानून-व्यवस्था के दृष्टिगत 04 अभियुक्ता व 02 अभियुक्त गिरफ्तार

प्रतापगढ़ ।

दिनांक 03.11.2024 को थाना कोतवाली नगर के उ0नि0 सचिन यादव मय हमराह का0 सितिन कुमार, म0पी0आरडी0 विद्या सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/चेकिंग के दौरान सुचना मिलने पर ग्राम बेनीपुर पहुंचे । जहाँ पर दो पक्षों द्वारा जमीन विवाद को लेकर विवाद कर रहे थे ।

मौके पर शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने के दृष्टिगत उभयपक्षों को काफी समझाने का प्रयास किया गया । परन्तु शान्ति व्यवस्था भंग होने की प्रबल सम्भावना को देखते हुए उ0नि0 सचिन यादव द्वारा 04 अभियुक्ता व 02अभियुक्त दीपक पुत्र पन्नालाल व बनवारी लाल पुत्र समुई निवासी उपरोक्त के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए अन्तर्गत 170/126/135 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया गया ।